

अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

पत्र संख्या— पं०नि०—30—119/2021 | 1969
प्रेषक,



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक— 5 अप्रैल, 2021

विषय:— पंचायत आम निर्वाचन 2021— दिनांक 08.04.2021 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी—सह—जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त निर्वाचन कार्य तथा उसके अनुश्रवण आदि के संबंध में दिनांक 08.04.2021 को अपराह्न 12.15 से 02.15 बजे तक सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी—सह—जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अनुमंडल पदाधिकारी—सह—निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद एवं प्रखंड विकास—सह—निर्वाची पदाधिकारी पदाधिकारी के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाना है।

बैठक की कार्यसूची निम्नवत है :—

01. मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची — नवगठित अधिसूचित नगरपालिकाओं के अन्तर्गत पंचायतों के स्थिति में हुए परिवर्तन को आयोग द्वारा दिये गये प्रपत्र में प्रविष्ट कराना।
02. पंचायत के पदों के आरक्षण स्थिति की प्रविष्टि एवं अपलोडिंग के संबंध में।
03. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 से संबंधित निर्वाचन व्यय विवरणी अभ्यर्थियों द्वारा ससमय समर्पित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन।
04. नवगठित नगरपालिका के पश्चात् पंचायत, वार्ड एवं मतदान केन्द्र संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में।
05. पंचायती राज विभाग के पत्रांक 1721 दिनांक 15.03.2021 के आलोक में अवशिष्ट ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं नामांकरण के संबंध में प्रतिवेदन।
06. समाधान अन्तर्गत परिवार पत्र संबंधी लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन के संबंध में।
07. प्रत्येक स्तर पर Communication Plan Entry पूर्ण करने के संबंध में।
08. Communication Shadow Zone से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।
09. सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र 1 एवं 2 में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इससे संबंधित त्रुटि पूर्ण प्रतिवेदन का निराकरण कराने के संबंध में।
10. ई.वी.एम. मूमेंट प्लान पर मंतव्य एवं माईक्रों लेवल मूमेंट प्लान प्रेषित करने के संबंध में।
11. अन्यान्य।

अनुरोध है कि संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी—सह—जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अनुमंडल पदाधिकारी—सह—निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी—सह—निर्वाची पदाधिकारी को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थल पर ससमय अद्ययतन प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

सचिव 16/04/2021